>

Title : Need to frame strict safety guidelines in order to check the incidents of children falling in borewells, open manholes and other pits.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): अध्यक्ष महोदया, भारत में सरकारी स्तर पर लाखों बोरवैल खोदे जाते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए भी व्यक्तिगत स्तर पर लोग बोरवैल खुदवाते हैं। तेजी से घटते जल स्तर के कारण जहां पहले 10 फुट गहरे गड्ढ़े खोदे जाते थे, अब करीब 40 फुट तक खोदे जाते हैं और अकसर इन गड्ढ़ों में गिरकर बच्चों की मृत्यु हो जातै है।, मौत का कारण बने ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई स्पष्ट नीति नज़र नहीं आती। बोरवैल खोदने का संबंध जल-प्रबंधन से जुड़ा है। देश में मौजूद कुएं सूख गये हैं और पानी का जलस्तर गिर रहा है। पेयजल और खेती के लिए पानी का अभाव है। जब बोरवैल खोदने की बात है। इस संबंध में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि कौन इन्हें खोद सकता है और कौन नहीं तथा इन्हें कहां-कहां खोदा जा सकता है? इनके मुख का आकार कितना हो और खोदने के बाद इन पर ढ़क्कन लगाकर रखा जाना चाहिए। इस बारे में स्पष्ट आदेश होने चाहिए। गांवों और कस्बों में प्राय: बच्चे खेल खेलते हुए इनमें गिरकर मौत का शिकार हो जाते हैं। बोरवैल का महत्व गर्मी में बढ़ेगा। इसलिए ठोस एवं व्यावहारिक समग्र जल नीति बनानी चाहिए ताकि बच्चों की मौत न हो और साथ ही पानी की समस्या हल हो सके। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि कड़े सुरक्षा निर्देश बनाये जाएं ताकि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।